हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 40/2020 अनवान नेनाराम बनाम शंकरराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

निर्णय

21/06/2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 रा.का.अ. के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नही करे मौके की यथा स्थति बनाये रखें।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा या हस्तक्षेप कर रहे हो। वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होने की संभावना नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर